(प्रथमवार राजस्थान राज–पत्र 4(ग), उपखण्ड (II) दिनांक 31.01.74 में प्रकाशित हुआ)

राजस्व (ग्रुप–8) विभाग
विज्ञप्ति
जयपुर, जनवरी 31.01.1974

एस.ओ. 167 – राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश, 1973 की धारा 14 के द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारों की शक्तियॉ उनके सामने अंकित पदाधिकारियों का प्रत्यायोजन करती है :–

क्र.सं.	अधिकार का विवरण	पदाधिकारी
1	राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश की धारा 3 के अन्तर्गत इकाईयों के गठन करने का अधिकार,	वन संरक्षक, तेन्दू पत्ता योजना
2	राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश की धारा 4 के अन्तर्गत अभिकर्ता की नियुक्ति के अधिकार,	वन संरक्षक, (प्रादेशिक वृत)
3	राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश की धारा 5 के अन्तर्गत तेन्दू पत्तों के क्रय एवं परिवहन निबन्धन के अधिकार,	मण्डल वन अधिकारी
4	राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश की धारा 8 के अन्तर्गत डिपो खोलना एवं डिपो पर मूल्य सूचियॉ आदि का अधिकार,	--------"--------
5	राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश की धारा 10 के अन्तर्गत तेन्दू पत्ते उपजाने वालों के पंजीकरण के अधिकार,	--------"--------
6	राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश की धारा 11 के अन्तर्गत बीड़ी बनाने वाले एवं तेन्दू पत्तों को निर्यात करने वालों के पंजीकरण के अधिकार,	--------"--------
7	राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश की धारा 13 के अन्तर्गत तेन्दू पत्तों की खुदरा बिक्री करने के लाइसेंस देने के अधिकार,	--------"--------
8	राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश की धारा 12 के अन्तर्गत तेन्दू पत्तों की बिक्री एवं व्ययन के अधिकार,	कमेटी जिसके, निम्न अधिकारी/सदस्य होंगे। (1) वन संरक्षक, (तेन्दू पत्ता) (2) वन संरक्षक, (प्रादेशिक वृत) (3) संबंधित मण्डल वन अधिकारी
9	राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश की धारा 19 के अन्तर्गत अपराधों का शमन	मण्डल वन अधिकारी

(संख्या प.2(6)(16)रा.8/73)
राज्यपाल के आदेश से,
डी.सी.जोसफ
राजस्व सचिव,